न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

श्री गलबाराम पुत्र रामाजी कुम्हार, जाति-कुम्हार, निवासी-रामपुरा, तह. व जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा, तहसील व जिला- सिरोही
2. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह राजपूत, जाति-राजपूत, निवासी-रामपुरा, तहसील व जिला- सिरोही

''निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994''

पंचायत निगरानी संख्या: 61/2015

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुम्हार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से
3. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से

:: निर्णय :: दिनांक 12 अप्रेल, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या- 01 दिनाक 05.10.2015 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया उपस्थित हुये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या- 2 की ओर से लिखित जवाब एवं दस्तावेज भी प्रस्तुत हुये।

(3) निगरानी प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने विवादित भूमि के मौके की स्थिति रेकर्ड पर मंगवाने हेतु कमिश्नर नियुक्ति बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 08.3.2017 के अनुसार तहसीलदार, सिरोही को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौके की स्थिति की वास्तविक रिपोर्ट मय नजरी नक्शे के प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, सिरोही के पत्र क्रमांक/राजस्व/2017/1610 दिनांक 04.7.2017 के द्वारा कमिश्नर रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। प्रकरण में नियुक्त कमिश्नर तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट के संबंध में प्रार्थी के अधिवक्ता ने आपत्ति करते हुए तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट को पत्रावली से हटाये जाने एवं निष्पक्ष कमिश्नर नियुक्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर दिनांक 20.3.2018 को दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

बाद प्रकरण में विवादित भूमि का न्यायालय पीठ द्वारा मौका निरीक्षण किया जाना उचित प्रतीत होने से न्यायालय पीठ द्वारा दिनांक 23.3.2018 को दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया।

(4) प्रकरण में उभय पक्ष की अंतिम बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी के मालकी व स्वामित्व व कब्जेशुदा आवासीय भूखण्ड़ ग्राम रामपुरा में गोयली-रामपुरा रोड पर स्थित है, जिसका पट्टा संख्या 128 (मिसल नम्बर 128/1978 तारीख दायर 17.9.1978) ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा दिनांक 22.8.1979 को जारी किया हुआ है, जिसकी चतुर्दशी उत्तर में गोईली जाने का रास्ता व दरवाजा, दक्षिण में आम रास्ता व दरवाजा, पूर्व में मंगलसिंह का भूखण्ड़ व आम चौक व दरवाजा तथा पश्चिम में मगाराम पुत्र पूनमाजी कुम्हार का मकान एवं नाप 50x100 फीट कुल क्षेत्रफल 5000 वर्गफीट है। प्रार्थी के उक्त मकान के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या- 2 के पिता श्री मंगलसिंह पुत्र श्री हिम्मसिंह राजपूत, निवासी- रामपुरा का मकान व भूखण्ड़ स्थित है जिसका दरवाजा पट्टे के अनुसार पूर्व में दो दरवाजा स्थित है, जबकि उत्तर दिशा में कोई दरवाजा स्थित नही है। अप्रार्थी संख्या-2 के पिता मंगलसिंह व अप्रार्थी संख्या-2 ने अवैध रुप से आम चौक व आम रास्ता की तरफ दरवाजा खोला है जिसके संबंध में ग्राम पंचायत से कोई स्वीकृति जारी नंही की गई है। अप्रार्थी संख्या-2 के पिताजी के मकान के उत्तर दिशा में कोई खांचा भूमि स्थित नही है। अप्रार्थी संख्या-2 के पिताजी के मकान के उत्तर दिशा में आम रास्ता व आम चौक की भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या-2 के पिता के द्वारा प्रार्थी के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा की आम चौक व रास्ते की भूमि को खांचा भूमि बताकर ग्राम पंचायत, रामपुरा में दिनांक 10.10.2005 को आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार मौका का निरीक्षण कर ग्राम पंचायत के द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर मौके पर खांचा भूमि नही होने व रास्ते की भूमि होने से दिनांक 28.11.2005 को निर्णय पारित कर श्री मंगलसिंह के खांचा भूमि का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी संख्या-2 के पिता श्री मंगलसिंह ने कोई निगरानी व अपील प्रस्तुत नही। अप्रार्थी संख्या-2 के पिताजी मंगलसिंह का खांचा भूमि हेतु आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज होने के बाद गलत रुप से अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा खांचा भूमि आवंटन हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो निरस्त योग्य है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अप्रार्थी संख्या-2 के पिता श्री मंगलसिंह के द्वारा पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या-1 के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें पारित निर्णय दिनांक 20.4.2007 के द्वारा ग्राम पंचायत, रामपुरा को यह निर्देश दिये गये कि पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करे, किन्तु ग्राम पंचायत, रामपुरा ने प्रार्थी को विवादित भूमि के मौका निरीक्षण के वक्त मौके पर नही बुलाया एवं न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया। प्रार्थी के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा व अप्रार्थी संख्या-2 के भूखण्ड़ के उत्तर दिशा में मौके पर कोई खांचा भूमि नही है, बल्कि आम चौक व रास्ते की भूमि है, जिस पर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा सी.सी. रोड़ का निर्माण करवाया गया है। उक्त आम रास्ता व आम चौक

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के आगे दलाराम पुत्र भीखाजी माली का मकान स्थित है जिसके पट्टा संख्या 5/84 दिनांक 15.9.1984 है व इस पट्टे में भी दक्षिण दिशा में चौक गोयली जाने वाला मार्ग है। श्री दलाराम पुत्र भीखजी माली के उक्त पट्टे की भूमि को श्री भीमाराम पुत्र मगाजी कुम्हार, निवासी- रामपुरा ने खरीद कर मकान का निर्माण करवाया है जिसके मकान के दक्षिण दिशा में आम चौक व तीन रास्ता का तिराहा पड़ता है। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि प्रार्थी ने नियमानुसार दरजवा खोलने की स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा में दरवाजा खोला है, उक्त दरवाजा का उपयोग व उपभोग प्रार्थी करता आ रहा हे। प्रार्थी के भूखण्ड़ में एक दरवाजा दक्षिण दिशा में तथा एक दरवाजा पूर्व दिशा में खोला हुआ है इसके अलावा, प्रार्थी के भूखण्ड़ में आने-जाने के लिये कोई दरवाजा नही है। उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत, रामपुरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के साथ मेल मिलाप कर दिनांक 05.10.2015 को प्रस्ताव संख्या-1 पारित कर प्रार्थी के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा में खोले गये दरवाजे को बंद करने व प्रार्थी के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा में स्थित उक्त आम चौक व रास्ते की भूमि जिस पर सी.सी.रोड बना हुआ है को खांचा भूमि बताकर आवंटन करने का निर्णय लिया है जो विधि विरुद्ध है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा सिविल रिट पीठीशन संख्या 3086/1998 नारायणलाल बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 12.7.1999 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा सिविल निगरानी प्रार्थना पत्र संख्या 20/2000 में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2001 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि रास्ते की भूमि एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि का विक्रय या आवंटन किसी भी व्यक्ति को नही किया जा सकता है तथा ग्राम पंचायत की रास्ते व आम चौक की भूमि का आवंटन करने का अधिकार नही है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-1 दिनांक 05.10.2015 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी गलबाराम के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या-2 के स्वामित्व का मकान आया हुआ है। प्रार्थी के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा में रास्ता व आम चौक की भूमि नही है। मौके पर अप्रार्थी संख्या-2 के आवासीय मकान के उत्तर दिशा में अप्रार्थी के कब्जेशुदा खांचा भूमि है एवं उसके आगे ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा निर्मित नाली है व नाली के आगे रास्ता है। उक्त खांचा भूमि अप्रार्थी भंवरसिंह के मकान के उत्तर दिशा में लगते हुए है व बिल्डिंग लाईन के अन्दर की ओर स्थित है। मौके पर कोई आम चौक अस्तित्व में नही है। अप्रार्थी भंवरसिंह के मकान के उत्तर दिशा में व पूर्व दिशा में मौके पर दरवाजे खुले हुये है। अप्रार्थी संख्या-2 के पिता द्वारा पूर्व में अपने मकान के उत्तर दिशा की ओर लगते हुई उक्त खांचा भूमि को क्रय करने हेतु आवेदन किया था, लेकिन उस पर ग्राम पंचायत द्वारा गलत व विधि विरुद्ध कार्यवाही करते हुए एकतरफा निर्णय पारित किया गया। तत्समय वार्ड पंचों द्वारा मौका नही देखा गया तथा न ही किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर अप्रार्थी संख्या-2 के पिता को प्रदान किया गया। आवेदन निरस्ती की जानकारी होने पर आदेश की प्रमाणित प्रतियां तक नही दी गई। ग्राम पंचायत, रामपुरा

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के खांचा भूमि विक्रय के आवेदन को निरस्त कर गलत वं विधि विरुद्ध तरीके से अप्रार्थी संख्या-2 के आवासीय मकान की तरफ गलबाराम पुत्र रामाजी कुम्हार को ग्राम पंचायत द्वारा दरवाजा खेलने की अनुमति प्रदान की गई। जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 के पिता ने उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध निगरानी अतिरिक्त जिला कलेक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत की, जो पंचायत निगरानी संख्या 33/2006 पर दर्ज हुई। उक्त पंचायत निगरानी संख्या 33/2006 में पारित निर्णय दिनांक 20.4.2007 के अनुसार ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा प्रार्थी गलबाराम को अतिरिक्त दरवाजा खोलने के संबंध में जारी स्वीकृति को निरस्त कर प्रकरण ग्राम पंचायत, रामपुरा को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। यह कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी भंवरसिंह के पुराने कब्जेशुदा खांचा भूमि की ओर प्रार्थी गलबाराम को अतिरिक्त दरवाजा खोलने की स्वीकृति जारी करने के संबंध में अप्रार्थी भंवरसिंह द्वारा उच्चाधिकारियों को शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसकी पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा मौके एवं रेकर्ड अनुसार जांच की गई थी। पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की जांच रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित कार्यवाही से ग्राम पंचायत की निजी आय को आर्थिक क्षति पँहुचाई गई है, साथ ही अतिरिक्त दरवाजा खोलने की जारी स्वीकृति नियमानुसार जारी नही की गई है, इसलिये उक्त अतिरिक्त दरवाजे की जारी स्वीकृति को निरस्त करते हुये श्री भंवर सिंह को उक्त खांचा भूमि आवंटन करने की सिफारिश की गई थी। अप्रार्थी संख्या-2 के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पिता भंवरसिंह के खांचा भूमि आवंटन आवेदन को खारिज करने एवं प्रार्थी गलबाराम को अप्रार्थी भंवरसिंह के कब्जे की खांचा भूमि की ओर अतिरिक्त दरवाजा खोलने की स्वीकृति आदेश को इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 33/2006 में पारित निर्णय दिनांक 20.4.2007 के द्वारा निरस्त किया गया एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, रामपुरा को पुनः जांच हेतु प्रतिप्रेषित करने पर उक्त निर्णय की पालना में ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए मौके पर खांचा भूमि होने व अप्रार्थी संख्या-2 उक्त खांचा भूमि प्राप्त करने का एक मात्र अधिकारी होने से नियमानुसार खांचा भूमि विक्रय करने का निर्णय पारित किया है। अप्रार्थी भंवरसिंह के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि अप्रार्थी भंवरसिंह ने अप्रार्थी भंवरसिंह के मकान के उत्तर दिशा से लगते हुए 10x30 वर्गफीट भूमि को ही खांचे के रुप में आवंटन कराने हेतु ग्राम पंचायत, रामपुरा में आवेदन किया था एवं उक्त 10x30 वर्गफीट खांचा भूमि के मौके पर कोई सी.सी.रोड बना हुआ नही है। उक्त खांचा भूमि के मौके पर अप्रार्थी भंवरसिंह के पत्थर इत्यादि पडे है। अप्रार्थी भंवरसिंह व अप्रार्थी के पिता को उक्त खांचा भूमि प्राप्त न हो सके, इस बदनियति के कारण प्रार्थी गलबाराम ने प्रार्थी गलबाराम के भूखण्ड़ के पूर्व दिशा में अप्रार्थी के पुराने कब्जे की खांचा भूमि में बदनियति पूर्वक का दरवाजा खोला था जो मौके पर बन्द है व इस दरवाजे का गलबाराम द्वारा कभी उपयोग नही किया गया है। मौके पर प्रार्थी गलबाराम के भूखण्ड़ के दक्षिण दिशा का दरवाजा बन्द है। मौके पर बबूल का बढ़ा पेड खडा व अप्रार्थी भंवरसिंह के पत्थर, छीण आदि पडी है व कांटो की बाड की हुई है। वैसे भी उक्त पंचायत निगरानी संख्या 33/2006

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)

में पारित निर्णय दिनांक 20.4.2007 के द्वारा प्रार्थी गलबाराम को ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा दरवाजा खोलने के संबंध में जारी स्वीकृति को निरस्त किया जा चुका है, इसलिये प्रार्थी गलबाराम उसके भूखण्ड़ के पूर्व दिशा में दरवाजा नही खोल सकता है। अप्रार्थी भंवरसिंह के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा कि इस न्यायालय द्वारा उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.4.2007 के अनुसरण में ग्राम पंचायत ने विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 144 व 156 के तहत अप्रार्थी को खांचा भूमि आवंटन का निर्णय पारित किया है, इसलिये प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी संख्या-1 के अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 20.4.2007 की पालना में मौके की जांच कर सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है।

(5) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायलय पत्रावली तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा श्री गलबाराम पुत्र रामाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- रामपुरा को उसके भूखण्ड़ में अतिरिक्त दरवाजा खोलने की स्वीकृति जारी करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या- 1 दिनांक 24.11.2005 एवं इसके अनुसरण में श्री गलबाराम पुत्र रामाजी कुम्हार, निवासी- रामपुरा को अतिरिक्त दरवाजा खोलने के संबंध में जारी स्वीकृति दिनांक 29.11.2005 को निरस्त कराने हेतु श्री मंगलसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जी, जाति- राजपूत, निवासी- रामपुरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अर्न्तगत ग्राम पंचायत, रामपुरा व श्री गलबाराम पुत्र रामाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- रामपुरा के विरुद्ध निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 33/2006 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.4.2007 के अनुसार निगरानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा गलबाराम पुत्र रामाजी, जाति- कुम्हार, निवासी- रामपुरा के पक्ष में उसके भूखण्ड़ में अतिरिक्त दरवाजा खोलने की स्वीकृति जारी करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 24.11.2005 को एवं इसके अनुसरण में अतिरिक्त दरवाजा खोलने की जारी स्वीकृति दिनांक 29.11.2005 को निरस्त किया गया एवं प्रकरण ग्राम पंचायत रामपुरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि मौके की स्थिति अनुसार निम्न बिन्दुओं पर परीक्षण करते हुए पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुन: नियमानुसार न्यायोचित्त निर्णय पारित करने की कार्यवाही करे:-

1. गलबाराम को जिस ओर अतिरिक्त दरवाजा खोलने की स्वीकृति दी गई है उसके आगे की भूमि खांचा भूमि की श्रेणी में आती है क्या?
2. गलबाराम के भूखण्ड़ में आवागमन हेतु दरवाजे उपलब्ध होते हुए भी अतिरिक्त दरवाजा खोलने का क्या औचित्य है?

इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 20.4.2007 के द्वारा प्रकरण ग्राम पंचायत, रामपुरा को उक्त निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाने पर ग्राम पंचायत, रामपुरा ने प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा गलबाराम पुत्र रामाजी कुम्हार

.....पेज छ: पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

के द्वारा खोले गये दरवाजे को बन्द करने एवं अप्रार्थी भंवरसिंह को विवादित भूमि का खांचा भूमि के रुप में बाजार दर से नियमन करने का निर्णय पारित किया है।

ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.10.2015 में यह भी अंकित किया है कि पंचायत द्वारा खांचा भूमि पर बनवाये गये सी.सी. सड़क का मूल्यांकन कर उसमें व्यय राशि भी बाजार दर के साथ जोड़कर पंचायत द्वारा पट्टा बनाकर दिये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पारित उक्त प्रस्ताव/निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत, रामपुरा ने अप्रार्थी भंवरसिंह को अनुचित लाभ प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा मौके पर बनाई गई सी.सी.रोड़ की तोड़कर विवादित भूमि को खांचा भूमि में नियमन करने का निर्णय लिया गया है, इससे ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव की निष्पक्षता सन्देहास्पद प्रतीत होती है। प्रकरण में मेरे (न्यायालय पीठ) द्वारा दिनांक 23.3.2018 को पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.10.2015 को निरस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 05.10.2015 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

12.04.18

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

सिरोही (राज०)